संख्या : 858/IV(1)/27(कुम्भ)/2010

प्रेषक,

एस0 राजू,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मेलाधिकारी,
हरिद्वार।

शहरी विकास अनुभाग–1 देहरादून : दिनांक : 9 दिसम्बर, 2010

विषयः कुम्भ मेला, 2010 के अन्तर्गत **Estimate for shifting of 132kv. Lines in Ved Mata, Gayatri Trust, Shanti kunj Premises** कार्य हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–6568/कु.मे./पावर कारपोरेशन, दिनांक 23.03.2010 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, अधिशासी अभियंता, पावर कारपोरेशन, हरिद्वार द्वारा उक्त कार्य हेतु प्रस्तुत कुल आगणन ₹ 132.45 लाख के परीक्षणोपरान्त संस्तुत **₹ 94.62 लाख (रू. चौरानवे लाख बासठ हजार मात्र)** की धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में **₹ 50.00 लाख (रू. पचास लाख मात्र)** की धनराशि को वित्तीय वर्ष 2010–11 में पी.एल.ए. में रखी गयी धनराशि से व्यय किए जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं : –

(1) उक्त कार्य को इसी धनराशि से पूर्ण किया जाएगा एवं आगणन का पुनरीक्षण किसी दशा में नहीं किया जाएगा।

(2) ***आगणन में टावर के ध्वस्तीकरण कार्य का प्राविधान किया गया था, परन्तु अन्य मदों के ध्वस्तीकरण का कोई प्राविधान नहीं किया गया है। अतः नियमानुसार समस्त मदों के ध्वस्तीकरण कार्य का नियमानुसार मदवार मात्रा एवं दर विश्लेषण सहित आंकलन तथा ध्वस्तीकरण से प्राप्त होने वाली सामग्री की मदवार मात्रा सहित धनराशि घटाते हुए अलग से आगणन प्रेषित किया जायेगा।***

(3) उक्त स्वीकृत धनराशि के पूर्ण उपयोग के उपरान्त उपयोगिता प्रमाणपत्र उपलब्ध कराए जाने पर ही दूसरी एवं अन्तिम किश्त की धनराशि अवमुक्त की जाएगी।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का यथाआश्यकता किश्तों में आहरण किया जाएगा और पूर्व आहरित धनराशि के पूर्ण उपयोग के बाद ही अगली किश्त का कोषागार से आहरण किया जाएगा।

(5) योजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों का निकटता से पर्यवेक्षण किया जाए। इसके लिए यथाआवश्यकता, निगरानी समिति का गठन कर लिया जाए।

(6) कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।

(7) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाए, जितनी राशि स्वीकृत की गई है।

(8) एकमुश्त प्राविधानों को कार्य करने से पूर्व, विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाए।

(9) कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित कराना सुनिश्चित करें।

(10) निर्माण कार्य एवं इस हेतु सामग्री क्रय करने से पूर्व मानकों एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के प्राविधानों का पालन कड़ाई से किया जाए।

(11) निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाए तथा उपयुक्त सामग्री का ही प्रयोग में लाया जाए।

2/–

(12) कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता से कार्यस्थल का भली भांति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाए तथा निरीक्षण के पश्चात दिए गये निर्देशों के अनुसार कार्य कराया जाए।

(13) कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व शासनादेश संख्या 475/XXVII(7)/2008 दिनांक 15दिसम्बर, 2008 की व्यवस्थानुसार निर्धारित प्रारूप पर अनुबन्ध निष्पादन की कार्यवाही सुनिश्चित कर ली जाएगी।

(14) स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.3.2011 तक उपयोग करके कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण तथा उपयोगिता प्रमाणपत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

(15) कार्य करने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं अथवा बाजार भाव से ली गई हों, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदित कराना आवश्यक होगा।

(16) यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि उक्त पूर्ण कार्य या इसके किसी भाग की स्वीकृति किसी अन्य कार्य के साथ नहीं दी गयी हो अर्थात वर्णित कार्य हेतु एक से अधिक माध्यम से स्वीकृति प्राप्त न की गयी हो तथा यह सुनिश्चित किया जाय कि कार्य एक से अधिक बार नहीं किया जाय। यदि कोई धनराशि अन्य माध्यम से स्वीकृत की गई हो तो यह भी सुनिश्चित किया जाय कि सम्बन्धित स्वीकृत धनराशि को शासन को समर्पित कर दिया जाएगा।

(17) मुख्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV-219/2006 दिनांक 30 मई, 2006 के द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय कड़ाई से पालन किया जाए।

(18) गायत्री ट्रस्ट/संस्था से 33/11 के.वी. उपकेन्द्र के लिए ली गई विद्युत भूमि का दाननामा सरकार/पावर कारपोरेशन के नाम यथाशीघ्र करा दिया जाय एवं उक्त के एवज में 132 के.वी. लाईन निःशुल्क शिफ्टिंग हेतु संस्था, पावर कारपोरेशन एवं पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन के मध्य मेलाधिकारी का प्रतिहस्ताक्षर से सहमति पत्र भी हस्ताक्षर कर लिया जाय।

(19) उक्त धनराशि का आहरण उपाध्यक्ष, हरिद्वार विकास प्राधिकरण, हरिद्वार के द्वारा पी.एल.ए. से करके मेलाधिकारी, हरिद्वार को आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराया जाएगा।

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय शासनादेश संख्या–436/IV(1)/2010–39(साम0)2006–टी0सी0 दिनांक 25.03.2010 के द्वारा मेलाधिकारी, हरिद्वार के निवर्तन पर रखी गयी धनराशि ₹ 108.5590 करोड़ के सापेक्ष किया जायेगा एवं पुस्तांकन तदुस्थान में वर्णित लेखाशीर्षक में किया जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशा.सं. 78/XXVII(2)/2010, दिनांक 06 दिसम्बर, 2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एस0 राजू)
प्रमुख सचिव।

संख्या : 858 (1)/IV(1)/2010 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, मा. शहरी विकास मंत्री जी, उत्तराखण्ड।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम), उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. महालेखाकार (ऑडिट), उत्तराखण्ड, देहरादून।

4. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार।
8. वित्त अनुभाग–2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ, बजट अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
9. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि नगर विकास के जी.ओ. में इसे शामिल करें।
10. अधिशासी अभियंता, पावर कारपोरेशन, हरिद्वार।
12. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(सुभाष चन्द्र)
उप सचिव।